

कार्यालय जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी, सिद्धार्थनगर ।

संख्या 347 / व्यवस्थापन / 2020-21 / चतुर्थ चरण / ई-लाटरी / विज्ञापि / दिनांक: सि०नगर, जुलाई 11, 2020

विज्ञापि

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आबकारी आयुक्त, उ०प्र० के पत्र संख्या-12512-88 / टास्क फोर्स-2 / ई-लाटरी / 2019-20 / लखनऊ, दिनांक जुलाई 10, 2020 के अन्तर्गत तृतीय चरण की ई-लाटरी के पश्चात चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु नवसृजित आबकारी दुकानों का आनलाइन व्यवस्थापन ई-लाटरी पोर्टल

[www.upexciseelottery.gov.in](http://www.upexciseelottery.gov.in) से किया जाना है, जिनका विवरण निम्नवत है-

1. देशी मदिरा दुकान (06)-, रमवापुर तिघरा घाट, सिसई, सोहरी, बढनी, तुलशियापुर (राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर दूर), एवं लुचुईया।

2. विदेशी मदिरा दुकान (04)- करमा बाजार, जिगिना माफी, बरघाट एवं औरताल।

देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की ई-लाटरी हेतु समय सारणी-

क्रमक	विवरण	तिथि / अवधि
(i)	चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु आवेदन प्रारम्भ	13.07.2020 को पूर्वान्ह 11:00 बजे से
(ii)	चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु आवेदन करने की अन्तिम तिथि एवं समय।	20.07.2020 को सायं 05:00 बजे तक।
(iii)	चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु आवेदन-पत्रों का परीक्षण	20.07.2020 को सायं 05:00 बजे से 22.07.2020 को सायं 05:00 बजे तक।
(iv)	चतुर्थ चरण की ई-लाटरी की तिथि / समय एवं स्थल	24.07.2020 को अपरान्ह 03:00 बजे से 05:30 बजे तक, विकास भवन सभागार सिद्धार्थनगर।

चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु निर्धारित प्रोसेसिंग फीस रू० 20,000/- आनलाइन जमा करने की सुविधा आवेदकों हेतु उपरोक्त पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। धरोहर धनराशि का ड्राफ्ट दिनांक 20.07.2020 को सायं 06:00 बजे तक कार्यालय में जमा न करने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ई-लाटरी के आवेदन पत्र के साथ अपलोड किये जाने वाले शपथ-पत्र का प्रारूप एवं दुकानों से सम्बन्धित समस्त अर्हताओं का विवरण आदि, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सिद्धार्थनगर के सूचना पट्ट, जनपद की वेबसाइट <https://sidharthnagar.nic.in/> पर एवं क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त किया जा सकता है।

11.07.2020

जिला आबकारी अधिकारी  
सिद्धार्थनगर

(दीपक मोणा)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी  
सिद्धार्थनगर ।

संख्या 348 / तददिनांक  
प्रति-

1- स्थानीय संवाददाता 1- **दैनिक जागरण** 2- **आमर उजाला**

को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापि अपने समाचार पत्र में 11सेन्टीमीटर X11सेन्टीमीटर (लगभग) स्थान पर प्रकाशित कराकर बिल सूचना कार्यालय से सत्यापित कराकर भुगतान हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी सिद्धार्थनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापि को जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

11.07.2020

जिला आबकारी अधिकारी  
सिद्धार्थनगर ।

**कार्यालय जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।**

संख्या 352 / आ0लि0 / ई-लाटरी / चतुर्थ चरण / सि0नगर, दिनांक: जुलाई 11, 2020

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,  
सिद्धार्थनगर।

महोदय,

अवगत कराना है कि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-12512-86 / टास्क फोर्स-2 / ई-लाटरी / 2019-20 / लखनऊ, दिनांक जुलाई 10, 2020 द्वारा ई-लाटरी के माध्यम से वर्ष 2020-21 हेतु नवसृजित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा, की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन चतुर्थ चरण की ई-लाटरी द्वारा दिनांक 24.07.2020 को अपराहन 03.00 बजे से 05:30 बजे तक प्रस्तावित है।

उ0प्र0 आबकारी(देशी शराब की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली-2002 के प्रस्तर-09), तथा उ0प्र0 आबकारी विदेशी शराब बीयर एवं वाइन को छोडकर) की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमावली-2001(यथा संशोधित) के प्रस्तर-09), प्राविधानानुसार आम जिला स्तरीय चयन समिति के नामित सदस्य हैं। ई-लाटरी के समय समिति के सभी सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। ;

अतः आपसे अनुरोध है कि चतुर्थ चरण की ई-लाटरी दिनांक 24.07.2020 को अपराहन 03.00 बजे से विकास भवन सभागार में उपस्थित रहने के साथ ही विकास भवन सभागार में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी,  
सिद्धार्थनगर।

संख्या / तददिनांक

प्रतिलिपि- जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी,  
सिद्धार्थनगर।



कार्यालय जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर।

संख्या 349 / आबकारी दु0 व्यवस्थापन / 2020-21 / सि0नगर / दिनांक: जुलाई 11, 2020

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,  
सिद्धार्थनगर।

महोदय,

अवगत कराना है कि आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पत्र संख्या-12512-86 / टास्क फोर्स-2 / ई-लाटरी / 2019-20 / लखनऊ, दिनांक जुलाई 10, 2020 द्वारा जनपद सिद्धार्थनगर की नवसृजित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के वार्षिक व्यवस्थापन 2020-21 हेतु चतुर्थ चरण की ई-लाटरी दिनांक 24.07.2020 को अपराहन 03:00 से बजे प्रस्तावित है। इस हेतु विकास भवन सभागार उपयुक्त स्थल है।

अतः अनुरोध है कि चतुर्थ चरण की ई-लाटरी हेतु दिनांक 24.07.2020 को विकास भवन सभागार आरक्षित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी  
सिद्धार्थनगर।

संख्या

/ तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01- जिला विकास अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

02- जिला आबकारी अधिकारी, सिद्धार्थनगर।

(दीपक मीणा)

जिलाधिकारी / लाइसेंस प्राधिकारी  
सिद्धार्थनगर।